जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. KRB/Res./2025-26/066 दिनांक : 10/12/2025

माननीय मुख्यमंत्री जी,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

विषय : **BALCO** प्रबंधन द्वारा जी–9 परियोजना के तहत करवाए जा रहे अवैध निर्माण, बहु–विभागीय अनुमतियों के बगैर कार्य, **DFO** के विधिसम्मत रोक आदेश की खुली अवमानना, मीडिया पर अवैध दबाव तथा मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में कठोर एवं त्वरित कार्रवाई किए जाने के सम्बंध में।

———

मान्यवर,

विषयान्तर्गत आपका ध्यान भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (**BALCO**) द्वारा कर्मचारियों के लिए बहुमजिला आवासीय परिसर जी–9 परियोजना अन्तर्गत किये जा रहे विधि–विरुद्ध निर्माण कार्य, प्रशासनिक आदेशों की खुली अवमानना, तथा मीडिया व आम श्रमिकों पर अनैतिक एवं दमनकारी व्यवहार की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो शासन व्यवस्था, पर्यावरणीय संरचना, मानवाधिकार और कानून–व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।

1. **जी–9 परियोजना : बहु–विभागीय कानूनों का प्रत्यक्ष उल्लंघन –**
प्राप्त तथ्यों व रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट है कि **BALCO** ने –
   - नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) से अनिवार्य अनुमति,
   - प्रशासनिक स्वीकृति,
   - वन–भूमि परिवर्तन/वन स्वीकृति,
   - तथा अन्य वैधानिक क्लीयरेंस आदि किसी भी रूप में प्राप्त नहीं की, इसके बावजूद बहुमंजिला निर्माण प्रारंभ कर दिया गया।

बालको प्रबंधन का यह कृत्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, भारतीय वन अधिनियम, 1927, छत्तीसगढ़ नगर निवेश अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ भवन निर्माण उपविधि का स्पष्ट अतिक्रमण है।

2. **DFO** द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश – **BALCO** ने आदेश को पैरों तले रौंदा – गंभीर अनियमितताओं के मद्देनजर स्थानीय आपत्तियों के बाद **DFO** ने –
   - जी–9 परियोजना पर तत्काल प्रभाव से रोक,
   - जांच समिति का गठन,
   - और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक किसी भी निर्माण कार्य को पूर्ण प्रतिबंधित रखने का आदेश दिया।

यह आदेश वैधानिक, बाध्यकारी व दंड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप है। फिर भी **BALCO** प्रबंधन ने इस आदेश की सार्वजनिक रूप से अवमानना करते हुए निर्माण गतिविधियाँ जारी रखीं। बालको प्रबंधन का यह आचरण–

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... दिनांक : .....

- ❖ सुव्यवस्थित न्याय के प्रशासन में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने वाला आचरण
- ❖ लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना।
- ❖ तथा घोर प्रशासनिक अवज्ञा की श्रेणी में आता है।

3. **BALCO अधिकारी द्वारा कानून व प्रशासन का अपमान – दंडनीय अपराध**

बालको कंपनी के एक वरिष्ठ व कम्पनी के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा स्थानीय नागरिकों और श्रमिकों के समक्ष यह कहना कि– **"हमें कानून–प्रशासन की कोई परवाह नहीं है।"**

यह कथन केवल अनुचित ही नहीं बल्कि–
धारा 189 **IPC** (लोक सेवक को धमकाना), धारा 504 **IPC** (भड़काऊ अपमान)
धारा 506 **IPC** (आपराधिक धमकी), धारा 186 **IPC** (लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा) के तहत दंडनीय अपराध है तथा दंडात्मक कार्रवाई के योग्य है।

इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक आदेशों के ऊपर स्वयं को समझते हुए उनका श्रमिकों के साथ कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार करना मानवाधिकारों, श्रम–अधिकारों और मानवीय गरिमा का क्रूर उल्लंघन है, जो किसी भी लोकतांत्रिक–कल्याणकारी व्यवस्था के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

4. **मीडिया पर BALCO का शोषणकारी दबाव – लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला**– यह तथ्य अत्यन्त गंभीर है कि–

प्रबंधन ने जी–9 परियोजना की अनियमितताओं से जुड़ी खबरें अथवा बालको प्रबंधन की नियम विरूद्ध कार्यशैली से संबंधित किसी भी प्रकार की खबरें प्रकाशित न करने के लिए मीडिया पर सीधा विज्ञापनों को **"लोभ/प्रलोभन"** बनाकर समाचार न छापने के लिए अनैतिक दबाव बनाते हुए यह चेतावनी दी दी जाती है कि "जो मीडिया **BALCO** के खिलाफ खबर छापेगा, उसे किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं दिया जाएगा और न ही कोई व्यवसाय मिलेगा।" प्रबंधन का यह आचरण– प्रेस की स्वतंत्रता का हनन, सूचना के अधिकार का दमन और लोकतंत्र–विरोधी कॉरपोरेट हस्तक्षेप का अत्यंत गंभीर मामला है, जिसकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

5. **BALCO का समग्र रवैया – शासन, प्रशासन और कानून के लिए खतराः**

उपरोक्त सभी बिंदु यह प्रमाणित करते हैं कि **BALCO** प्रबंधन– **स्वयं को सरकारी तंत्र व कानून से ऊपर मानने की प्रवृत्ति से संचालित है,** राज्य की पर्यावरणीय/वन संरचना, श्रमिक गरिमा और प्रशासनिक प्रक्रिया का उल्लंघन करता है और यह व्यवहार राज्य शासन की साख तथा संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार–क्षेत्र को चुनौती देने जैसा है। ऐसे आचरण को अनदेखा करना न केवल प्रशासनिक विफलता होगी, बल्कि भविष्य में बड़े स्तर पर कानून–व्यवस्था के संकट का कारण बनेगा।

अतः, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपेक्षा है किः–

1. **BALCO** प्रबंधन एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर उच्च–स्तरीय वैधानिक कार्रवाई –
   - ○ **DFO** के आदेश की अवमानना पर न्यायालय अवमानना प्रकरण दर्ज किया जाए।
   - ○ अवैध निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक/सीलिंग की कार्रवाई हो।

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....

दिनांक : .....

2. सभी विभागीय अनुमतियों व पर्यावरणीय क्लीयरेंस की व्यापक जांच – नगर निवेश, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, कलेक्टोरेट और प्रशासन की संयुक्त उच्च–स्तरीय जांच कराई जाए।
3. बालको के उस वरिष्ठ व जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए जो स्वयं को कानून व प्रशासन से ऊपर मानते हुए कहता है कि **"हमें कानून–प्रशासन की कोई परवाह नहीं है"** जिसमें–
   - मानवाधिकार हनन,
   - धमकी,
   - उत्पीड़न,
   - सार्वजनिक सेवक के आदेश की अवहेलना शामिल हों।
4. **मीडिया पर विज्ञापन–आधारित डाले गए अनैतिक दबाव की स्वतंत्र जांच** – ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रेस–स्वतंत्रता और जनता के सूचना–अधिकार की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
5. राज्य सरकार द्वारा **BALCO** प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी जारी किया जाना चाहिए – कि वह किसी भी परिस्थिति में **कॉर्पोरेट संस्था कानून, संवैधानिक प्रावधान और प्रशासनिक आदेशों से ऊपर नहीं है।**

अतएव उपर्युक्त गंभीर परिस्थतियों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा है कि इस अति गंभीर, संवेदनशील एवं जनहित से जुड़े विषय पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई करते हुए आम नागरिकों में न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रखना सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे।

सधन्यवाद,

जयसिंह अग्रवाल

प्रतिलिपि :

1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छ.ग. शासन,
2. कलेक्टर, कोरबा
3. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल, कोरबा

Scanned with OKEN Scanner